



राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग


क्रमांक : प. 1(1)त.शि./2023 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : 31.01.2024

: आदेश :

तकनीकी शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना के बिन्दु संख्या 1 की अनुपालना में विभाग के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम यथा इंजीनियरिंग, MBA, MCA, अन्य AICTE पाठ्यक्रमों तथा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हेतु पूर्व में छात्राओं के प्रवेश में प्रावधित 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को एतद् द्वारा सत्र 2024-25 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाता है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा) महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, त.शि.
- संयुक्त शासन सचिव, त.शि.
- निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर को उनके पत्रांक एफ-()तशिनि/ई-2/2023-24/490 दिनांक 15.01.2024 के क्रम में।
- रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
- रजिस्ट्रार, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
- निदेशक, सी.ई.जी., जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

DIRECTORATE OF TECH EDUCATION
JODHPUR
R. R. No. 466
DATE 6/2/2024


(डॉ. मनीष गुप्ता)
संयुक्त सचिव, त.शि.

8
E 2
6/2/24